प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
01.04.2026 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

'' मुख्य समाचार''

- प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 7 अप्रैल तक पंचायत चुनाव का रोस्टर जारी करने के दिए आदेश।
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा।
- मुख्यमंत्री का आरोप– सुर्खियों में बने रहने व राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा– आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक संविदा नीति बनाने का कोई विचार नहीं।

- चिट्टा व हेरोइन के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित करने संबंधी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत।

हाईकोर्ट

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव के लिए 7 अप्रैल तक रोस्टर जारी करने और तय समय सीमा के भीतर पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने इस संबंध में विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि पंचायतों का गठन, पुनर्गठन और डी–लिमिटेशन की प्रक्रिया कानून के अनुसार होनी चाहिए जिसमें नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य है। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की बैंच ने स्पष्ट किया है कि यदि डी–लिमिटेशन तय प्रक्रिया के तहत नहीं किया गया है, तो उसे अवैध माना जाएगा और चुनाव में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 13 फरवरी के बाद लगभग एक सौ 96 नई पंचायतें बनाई हैं।

पंचायत रोस्टर
प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया के तहत सरकार द्वारा उपायुक्तों को आरक्षण रोस्टर में 5 फीसदी बदलाव की शक्तियां प्रदान करने पर आज विधानसभा में हंगामा हुआ। विपक्षी दल भाजपा ने इस संबंध में सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का विरोध किया और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा की ओर से विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव दिया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस प्रस्ताव को प्रश्नकाल के बाद देखने की बात कही।

इस पर विपक्ष ने विरोध किया और अध्यक्ष से इस प्रस्ताव पर निर्णय लेकर चर्चा करवाने की मांग की। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर इस स्थगन प्रस्ताव पर संक्षिप्त चर्चा हुई जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी–अपनी बात रखी। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है और स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी देना अनिवार्य नहीं है। इस पर विपक्ष ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 31 मई से पहले ही करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को रोस्टर में 5 फीसदी तक बदलाव करने की शक्तियां जनहित में दी गई हैं।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल उठाया कि जब नगर निगम और अन्य शहरी निकायों के चुनावों में इस तरह का प्रावधान लागू नहीं किया गया, तो पंचायत चुनावों में इसे लागू करने का औचित्य क्या है।

दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि भाजपा राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर मुद्दे पर वॉकआउट करती है और पंचायतों में आरक्षण से छेड़छाड़ की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

एंट्री टैक्स

एंट्री टैक्स को लेकर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने सीमाओं में आवाजाही को पूरी तरह से ठप्प कर दिया है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि पांच और 12 सीटर वाहनों के एंट्री टैक्स में जो दरें बढ़ाई गई थी उसका युक्तिकरण कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों की गलतफहमी दूर करने के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि आउटसोर्स पर तैनात कर्मी सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, और सरकार का जॉब सिक्योरिटी व दीर्घकालिक संविदा नीति बनाने का कोई विचार नहीं है। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज विधानसभा में विधायक प्रकाश राणा और डॉक्टर जनकराज के सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में आउटसोर्स आधार पर लगभग 13 हज़ार कर्मचारी कार्यरत्त हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024–25 के वास्तविक खर्च के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत नियमित कर्मचारियों व अधिकारियों के वेतन और भत्तों पर मासिक एक हज़ार एक सौ 72 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर वार्षिक 14 हज़ार 62 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। इसी तरह आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन व अन्य सुविधाओं के लिए मासिक 19 करोड़ रूपए और वार्षिक 2 सौ 24 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा नियमित पदों को आउटसोर्स आधार पर नहीं भरा जाता। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मियों को उनका पारिश्रमिक हर महीने की 7 तारीख के बाद दिए जाने का कोई मामला सरकार के संज्ञान में नहीं आया है।

विधेयक

प्रदेश में दल–बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए विधायक पैंशन से वंचित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में विधायकों के भत्ते व पैंशन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के पारित होने पर 14वीं विधानसभा या इसके बाद सदन में चुन कर आने वाले विधायक संशोधित कानून के दायरे में आएंगे। इस बीच, पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह की अनुपस्थिति में ग्राम व नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक में संशोधन के बाद चिट्टा व हेराईन के अवैध कारोबार में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

मांग

चम्बा ज़िला की पांगी घाटी की शौर पंचायत के उपप्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने खस्ताहाल संपर्क मार्ग खेलुई की मरम्मत और रेई पंचायत के उपप्रधान ठाणू लाल शर्मा ने कोरेई संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से धनराशि उपलब्ध करवाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में आज शिमला में लोक निर्माण मंत्री से मुलाकात की। विक्रमादित्य सिंह ने दोनों संपर्क मार्गों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

राजीव भारद्वाज

केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कांगड़ा ज़िले में स्थित पंचरूखी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज के सवाल के जवाब में आज लोकसभा में उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है और अब तक योजना के तहत विकास के लिए एक हज़ार 3 सौ 38 स्टेशनों की पहचान की गई है जिसमें हिमाचल के बैजनाथ पपरोला और पालमपुर, अम्ब अंदौरा और शिमला स्टेशन शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि अम्ब अंदौरा और बैजनाथ पपरोला स्टेशनों पर विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 7 अप्रैल तक पंचायत चुनाव का रोस्टर जारी करने के दिए आदेश।
- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन में किया हंगामा।
- मुख्यमंत्री का आरोप– सुर्खियों में बने रहने व राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा– आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक संविदा नीति बनाने का कोई विचार नहीं।
- चिट्टा व हेरोइन के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित करने संबंधी विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत।